



## प्रेस नोट

दिनांक 09.11.2024

### थाना कुरारा पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुरारा पुलिस द्वारा ग्राम लहरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर से जगदीश नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी ग्राम लहरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 350/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय भेजा गया।

#### बरामदगी का विवरण-

एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर  
नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

जगदीश नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण (उम्र करीब 36 वर्ष) निवासी ग्राम लहरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर  
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 -23/2018, धारा – 302/34/326/504 भा0द0सं थाना कदौरा जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0-350/2024 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुरारा जनपद हमीरपुर

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 पंधारी सरोज
2. हे0का0 गौतम कुमार
3. का0 आकाश कुमार
4. का0 हिमांशू गंगवार

